क्रम संख्या–222 (ग) पंजीकरण संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2018–2020

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

देहरादून, मंगलवार, 11 दिसम्बर, 2018 ई0

अग्रहायण 20, 1940 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

परिवहन अनुभाग–1

संख्या 714/IX–1/49(2015)/2018

देहरादून, 11 दिसम्बर, 2018

अधिसूचना

राज्यपाल, मोटरयान अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या 59) की धारा–102 की उपधारा (1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करते हुए नीचे अनुसूची के स्तम्भ II में उल्लिखित सीमा तक प्रत्येक के समक्ष निम्न अनुसूची के स्तम्भ I मे उल्लिखित मार्गो के सम्बन्ध में, लोक हित में उपान्तरण करने का प्रयास करते है और उसे उक्त धारा की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार उत्तराखण्ड परिवहन निगम और प्रस्तावित उपान्तरों द्वारा प्रभावित होने वाले समस्त यात्रियों की सूचना के लिए और उसे अभ्यावेदन यदि कोई हो, आमंत्रित करने की दृष्टि से प्रकाशित करते हैं।

2– उत्तराखण्ड परिवहन निगम और अन्य कोई व्यक्ति, जिसका हित प्रस्तावित उपान्तर द्वारा प्रभावित होने के सम्भाव्य है, अपना अभ्यावेदन, यदि कोई हो, इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन के भीतर सचिव, परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून को कर सकता है।

3– इस प्रकार इस निमित्त प्राप्त अभ्यावेदनों की सुनवाई, हेतु श्री हरि चन्द्र सेमवाल, अपर सचिव, परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड शासन को सुनवाई प्राधिकारी नामित किया जाता है। सुनवाई अधिकारी द्वारा निर्धारित सुनवाई की तिथि की सूचना सम्बन्धित व्यक्तियों/अभ्यावेदनकर्ताओं को यथासमय पृथक से प्रेषित की जायेगी।

अनुसूची

क्रसं	अधिसूचित मार्ग जिनका उपान्तर प्रस्तावित है	प्रस्तावित उपान्तर(जो अपेक्षित है) परमिट/टिप्स
	स्तम्भ I	स्तम्भ II
1.	हल्द्वानी–रानीखेत	निजी क्षेत्र हेतु पूर्व से अनुमन्य 54 सेवाओं के स्थान पर 25 और अतिरिक्त सेवायें अर्थात कुल 79 सेवायें प्रदान की जानी है।
2.	हल्द्वानी–नैनीताल	निजी संचालकों को 12 सेवायें प्रदान की जानी है।
3.	रानीबाग–भीमताल	बिना किसी फेरा प्रतिबन्ध पर निजी संचालकों को अनुमति प्रदान किया जाना है।
4.	हल्द्वानी–सितारगंज–खटीमा–टनकपुर	निजी क्षेत्र की मै0के0एम0ओ0यू0 लि0 को दो सेवायें प्रदान किया जाना है।
5.	1–टनकपुर से लोहाघाट 2–लोहाघाट से घाट 3–पिथौरागढ़ से ओगला	1–टनकपुर से लोहाघाट में निजी संचालकों को दो सेवायें प्रदान की जानी है। 2–लोहाघाट से घाट भाग पर फरों के प्रतिबन्ध के बिना निजी संचालकों को अनुमति प्रदान की जानी है। 3–पिथौरागढ़ से ओगला भाग पर फेरों के प्रतिबन्ध के बिना निजी संचालकों को अनुमति प्रदान की जानी है।
6.	मुरादाबाद–रामपुर–किच्छा–हल्द्वानी	निजी संचालकों को सीधी सेवायें प्रदान कराये जाने हेतु रूद्रपुर–किच्छा मार्ग का उपान्तर किया जाना है।
7.	रानीखेत–द्वाराहाट	रानीखेत से द्वाराहाट मार्ग पर निजी क्षेत्र की सीधी सेवायें उपलब्ध कराये जाने के दृष्टिगत गगास–द्वाराहाट मार्ग का उपान्तर किया जाना है।

आज्ञा से,

शैलेश बगौली,

सचिव।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 11 परिवहन/724–2018–100+50 (कम्प्यूटर/रीजियो)।